फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री किशन लाल — विपक्षी : श्री भैरूलाल

मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 59/21

कार्यवाही विवरण

[illegible] 29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मूल पुरूष श्री नवला जी के चार पुरूष सन्तान सवला उर्फ सवलाल, मगना, रामा व मेघा हुए जिसमें मगना के लाओलाद फौत हो जाने से उनके हक हिस्से की भूमि तीनों भाईयों में मर्ज हो गई यानिकि जो आराजीयात मूल पुरूष नवला के नाम पर दर्ज थी उसमें 1/3 हिस्सा सवला उर्फ सवलाल 1/3 हिस्सा रामा व 1/3 हिस्सा मेघा का हो गया था। तथा सवला उर्फ सवलाल के कोई पुरूष सन्तान [illegible] से उन्होंने सामाजिक रस्म रिवाज के अनुसार श्री रामा जी के पुत्र भैरूलाल को [illegible] रख लिया जिससे भैरूलाल सवला उर्फ सवलाल का गोद पुत्र होकर उनके साथ [illegible] निवास करने लगा व उनके नाम का ही उपयोग करने लगा तथा पश्चात वादीगण के पिता श्री रामा जी की मृत्यु होने से रामा जी की विरासत से खुले नामान्तरण में भी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना नाम दर्ज करवा दिया तथा षडयंत्र करके सवला उर्फ सवलाल के मरनोपरान्त उनका नामान्तरण अकेली उनकी पुत्री रयाणी बाई के पक्ष में खुलवाकर उसका हक त्याग स्वयं के पक्ष में करवा लिया, इस प्रकार से भैरूलाल सवला उर्फ सवलाल के गोद चला गया था, इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 का रामाजी की सम्पति में कोई हक अधिकार नही रहा हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनागस्त आराजीयात में विपक्षी के नाम का गलत अंकन होने से विपक्षी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनागस्त भूमि से बेदखल करने व विक्रय करने पर आमादा होने से प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक [illegible] निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूल वाद [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थनागस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है अन्य बिन्दु मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किये जायेंगे। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते है। प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पीथलपुरा पटवार क्षेत्र पीथलपुरा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमावंदी सम्वत 2067–70 परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 88 की आराजी 193/2, 250, 252/3, 332, 339, 402/2, 404/2, 411/2, 415, 422, 43[illegible] [illegible] रकबा 37 बिघा 14 बिस्वा, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 23 की [illegible] जी [illegible]/1, 403 किता 2 रकबा [illegible] बिस्वा, परिशिष्ट (ग) की खाता [illegible] किता 2 रकबा 22 बिघा 08 बिस्वा, भूमि में [illegible] के बाद [illegible] नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक [illegible] यथास्थिति रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested